

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती

(जिला बस्ती राज्य, उत्तर प्रदेश)

पत्र संख्या/मान्यता/19677-79 /2018-19 दिनांक- 11-01-19

प्रबन्धक,

मानमती ग्लोबल स्कूल,

कुसौरा बाजार, बस्ती।

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

प्रिय महोदय/महोदया,

आपके तारीख 28/05/2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ति पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं मानमती ग्लोबल स्कूल, कुसौरा बाजार, बस्ती को तारीख 01 अप्रैल 2018 से तारीख 31 मार्च 2021 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा एल0के0जी0 से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने के संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवर्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010(उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय के अधिनियम की धारा-12 की उपधारा-2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/ विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।
(क) प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निस्कासित नहीं किया जायेगा।
(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
(ङ) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त अथवा विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
(च) अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हता नहीं है, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।
(छ) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया-कलापों में नियोजित नहीं करेगा।
7. विद्यालय समुचित अधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों का बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रासुविधाएँ निम्नानुसार हैं-
(क) विद्यालय परिसर का परिक्षेत्र उपलब्ध है।

Principal

Bhanmati Devi Global Academy
Aksara, Baili, Basti (U.P.)

Manager

Bhanmati Devi Global Academy
Aksara, Baili, Basti (U.P.)

(ख) क्रीडा स्थल उपलब्ध है।

(ग) कक्षाओं की संख्या 10 कमरा।

(घ) प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डार के लिए कक्ष है।

(ङ) बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक-पृथक शौचालय है।

(च) पेयजल की सुविधा उपलब्ध है।

(छ) मिड डे मील पकाने के लिए रसोई है।

बाधा रहित पहुँच है।

(ज) अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेल कूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता है।

9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उससे बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या-कोड-BST-UPS(L-8)F/10/3 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाय।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. उपरोक्त मान्यता संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी की निरीक्षण आख्या तथा उनकी संस्तुति के आधार पर एवं संबंधित प्रबन्धक के द्वारा प्रस्तुत नोटरी शपथ पत्र के आधार पर प्रदान की गयी है। भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन पाया जाता है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश निर्गत तिथि से स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

भवदीय

(अरुण कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

बस्ती

पृष्ठ संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) गोरखपुर/बस्ती मण्डल।
2. संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद-बस्ती।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती

Principal

Bhanmati Devi Global Academy
Aksara, Bailli, Basti (U.P.)

Manager

Bhanmati Devi Global Academy
Aksara, Bailli, Basti (U.P.)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-बस्ती

पत्रांक/मान्यता

312

/2021-22

दिनांक- 19 फरवरी, 2021

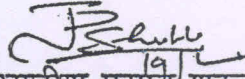
प्रबन्धक

भानमती देवी ग्लोबल एकेडमी
अक्सड़ा, बैली, बस्ती।

महोदय,

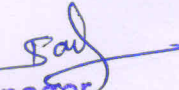
कृपया अपने पत्र दिनांक 18 फरवरी, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश करें, उक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 419/79-6-2013-18(20) /91 शिक्षा अनुभाग-06 दिनांक 08 मई, 2013 के अनुपालन में सूच्य है कि मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से संबंधित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो 03 वर्ष की अवधि पूरी होने पर वह मान लिया जाएगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि मान्यता आदेश के बिन्दु 13 तथा बिन्दु 17 में दिये गए निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाए।

कृपया उक्तवत अवगत होने का कष्ट करें।


(जगदीश प्रसाद शुक्ल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती


Principal

Bhanmati Devi Global Academy
Aksara, Baili, Basti (U.P.)


Manager
Bhanmati Devi Global Academy
Aksara, Baili, Basti (U.P.)



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समस्त शिक्षा, विद्या भवन, मिशनमार्ग, लखनऊ - 226 007

वेब-साइट: www.upespo.com

ई-मेल: upespo@gmail.com

दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128



प्रेषक,
राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में
श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

दिनांक: ०८ मार्च, 2022

पत्रांक: रा०प०नि०/ 5654 /2021-22/लखनऊ
विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें।"

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन वसति शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।
संलग्नक-उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांक: रा०प०नि०/ /2021-22/लखनऊ/तददिनांक
प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइबर-एफ)
3. जिला वसति शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

Principal

Bhanmati Devi Global Academy
Aksara, Baili, Basti (U.P.)

Manager

Bhanmati Devi Global Academy
Aksara, Baili, Basti (U.P.)